33/Press clipping/7/2015/RU-III

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

विषयः प्रभात खबर समाचार पत्र, रांची संस्करण में दिनांक 24.03.2015 को "मुआवजे के 11 करोड़ रूपए निकाल लिए बिचौलिए" के संबंध में।

झारखण्ड राज्य के धनबाद जिले में रिंग रोड के निर्माण हेतु भू–अर्जन में अनियमितताओं और आदिवासियों को मिलने वाले मुआवजे को बिचौलियों द्वारा हड़पने की घटना के संबंध में राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा ली गई बैठक का कार्यवृत्त।

माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा यह बैठक आहूत की गई थी किन्तु अपरिहार्य कारणों से उनकी अनुपस्थिति में निर्देशानुसार श्री रवि ठाकुर, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने आयोग के सम्मेलन कक्ष में दिनांक 30.06.2015 को प्रातः 11:30 बजे उपरोक्त विषय पर राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में सम्मिलित अधिकारियों की सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है। सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग (बैंकिंग एवं बीमा), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, झारखण्ड सरकार एवं पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड बैठक में उपस्थित नहीं हुए।

माननीय उपाध्यक्ष ने उपस्थित अधिकारियों को कहा कि आदिवासी रैयतों की जमीन का अधिग्रहण करने के बाद उनको मिलने वाले मुआवजे की राशि को बिचौलियों द्वारा हड़प लिये जाने की यह घटना बहुत गंभीर है एवं आयोग का मत है कि पीड़ित आदिवासियों को न सिर्फ मुआवजे की पूरी राशि प्राप्त हो बल्कि भू–अर्जन में अनियमितता करने वाले अधिकारियों और धन राशि हड़पने वाले बिचौलियों को सजा मिले। उन्होंने उपायुक्त, धनबाद से प्रकरण की अद्यतन स्थिति तथा आयोग द्वारा की गई जांच के निष्कर्षों एवं सुझावों पर जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी चाही।

बैठक में उपायुक्त, धनबाद ने सूचित किया कि रिंग रोड के निर्माण हेतु धनबाद जिले में किए गए भू–अर्जन में अनियमितताएँ हुई हैं तथा आयोग के जांच दल द्वारा की गई जांच के निष्कर्ष सही हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा भू–अर्जन विभाग के तत्कालीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तत्कालीन जिला भू–अर्जन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की कार्रवाई प्रस्तावित है और कानूनगो तथा अमीन को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुआवजे की राशि के चेक भूमि के मालिकों के नाम पर जारी किए गए थे और उन लोगों के खाते में धन राशि आई थी। बिचौलियों ने भूमि के मालिकों से हस्ताक्षरित अथवा अंगूठे लगे चेक पहले ही ले लिए थे और उनके खाते में मुआवजे की राशि आते ही इन चेकों को प्रस्तुत कर भुगतान प्राप्त कर लिया था। पीड़ितों को मुआवजे की धन राशि के दोबारा भुगतान हेतु सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त करना पड़ेगा। उन्होंने बैठक में निम्नलिखित जानकारी दी :

(1) रिंग रोड के मुआवजे की राशि हड़पने के लिए दोषी लोगों, जोड़ा पोखर, धनबाद के पैक्स प्रबंधक, पदाधिकारियों एवं कर्मियों के विरूद्ध धनबाद के धनसार थाने में अपराध संख्या 398/15 दिनांक 18.04.2015 धारा 406 एवं 420 भा.द.वि. दायर किया गया है। अपराध के अनुसंधान में नियम एवं तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए पदाधिकारियों का एक दल गठित किया गया है जिसमें भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद, जिला सहकारिता पदाधिकारी, धनबाद तथा अग्रणी बैंक प्रबंधक, धनबाद को शामिल किया गया है। इससे जांचकर्ता अधिकारी को पैक्स के काम–काज संबंधी उप

2-7-2015

रवि ठाकुर/RAVI THAKUR
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

विधियों, राजस्व संबंधी विषयों में नियमों तथा आयकर व भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय लेन–देन संबंधी प्रावधानों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी तथा संबंधित नियमों के उल्लंघन के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने में मदद मिल सकेगी।

(2) श्री लाल मोहन नायक, तत्कालीन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद के विरूद्ध प्रपत्र–क में आरोप गठित कर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को भेजा गया है।

(3) श्री अनूप कुमार महतो, प्रबंधक, जोड़ा पोखर पैक्स, धनबाद के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिला सहकारिता पदाधिकारी, धनबाद द्वारा उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है तथा समिति को अवक्रमित करने की अनुशंसा, निबंधक, सहयोग समितियां, झारखण्ड, रांची को भेजी गई है।

(4) श्री मिथिलेश कुमार, तत्कालीन कानूनगो, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी कार्यालय, धनबाद के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई चलाने हेतु प्रपत्र–'क' में आरोप पत्र विभाग को प्रेषित किया गया है तथा श्री पाईका टुडू, अमीन, श्री शंकर प्रसाद दुबे, अमीन, श्री रघुनाथ ठाकुर, अमीन एवं श्री दुर्गा प्रसाद रजवाड़, अनुसेवक के विरूद्ध प्रपत्र–'क' में आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्रवाई की जा रही है।

(5) प्रस्तावित भू–अर्जन से संबंधित भूमि की मापी कर चिन्हित करते हुए रैयतों के कागजात तथा राजस्व अभिलेख से उसका सत्यापन कर नया शिड्यूल तैयार करने हेतु पदाधिकारियों का एक दल गठित किया गया है जिसमें अपर समाहर्ता, धनबाद, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद, अंचल अधिकारी, बलियापुर तथा प्रभारी, भू–अर्जन, जेआरडीए, धनबाद शामिल हैं। इस प्रक्रिया से अर्जित होने वाली भूमि चिन्हित हो सकेगी तथा उससे पुराने शिड्यूल एवं भुगतान का सत्यापन करने पर सहज रूप से अनियमितता प्रकाश में आ जाएगी और उसके लिए कानूनी कार्रवाई, अनियमित भुगतान से संबंधित राशि की वसूली एवं ऐसे रैयत जिनकी भूमि वास्तविक रूप से अर्जित हो रही है, को सभी नियम एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन कर भुगतान सुनिश्चित कराया जाएगा।

(6) मौजा तिलाटांड़ में जेआरडीए द्वारा आवास निर्माण हेतु किए गए भू–अर्जन में भी अनियमितता प्रकट हुई है। उन्होंने बताया कि आदिवासी रैयतों को मुआवजे के भुगतान की राशि की हेरा–फेरी के लिए जांच दल द्वारा चिन्हित सभी व्यक्तियों, पैक्स प्रबंधन तथा तत्कालीन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। श्री उदयकांत पाठक, तत्कालीन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद संप्रति अनुमंडल पदाधिकारी, हुसैनाबाद, पलामू के विरूद्ध प्रपत्र–क में आरोप गठित कर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को भेजा गया है जबकि वहां पदस्थ कर्मियों व दैनिक वेतनभोगी अमीन को अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है।

(7) भू–अर्जन से संबंधित मुआवजे की राशि का शिविर आयोजित कर एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से अधियाची विभाग के पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, पंचायत सेवक, मुखिया, राजस्व कर्मचारी की उपस्थिति में भुगतान करने हेतु उनके कार्यालय के पत्र दिनांक 09.09.2013 द्वारा दिशा–निर्देश दिया गया था। वर्तमान जांच के दौरान पैक्स के माध्यम से मुआवजे की राशि की हेरा–फेरी प्रकाश में आने पर उन्होंने अपने कार्यालय के पत्र दिनांक 10.06.2015 द्वारा सभी एवार्डी का राष्ट्रीयकृत बैंक का खाता सं0 तथा पासबुक की छायाप्रति प्राप्त कर संबंधित खाता सं0 के विरूद्ध चेक निर्गत कर उचित पहचान पर भुगतान करने का निर्देश दिया गया है तथा किसी भी परिस्थिति में मुआवजे का भुगतान पैक्स के माध्यम से नहीं करनी हेतु निदेशित किया गया है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी एवं अपर समाहर्ता, धनबाद को निदेशित किया गया कि भू–अर्जन के सभी मामलों की समीक्षा करें तथा अन्य अनियमितता प्रकाश में आने पर उसके लिए भी दोषी पदाधिकारी, कर्मियों एवं अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए दोषी पदाधिकारी एवं कर्मियों के विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करायें, साथ ही भू–अर्जन से संबंधित सभी कार्रवाई निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से सुनिश्चित करायें।

रवि ठाकुर/RAVI THAKUR
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi
2-7-20

(8) चूंकि उक्त दोनों मामलों में भू–अर्जन की कार्रवाई जेआरडीए, धनबाद के लिए प्रस्तावित रिंग रोड एवं आवासीय प्रयोजनार्थ हो रही है तथा बहुत बड़ी राशि का भुगतान बगैर भूमि का दखल दिलाये किया जाता रहा इसलिए प्रभारी भू–अर्जन जेआरडीए का दायित्व था कि इन अनियमितताओं को उच्चाधिकारी के संज्ञान में लायें, परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं कर कर्त्तव्यहीनता बरती गई है। इसके लिए उनके कार्यालय के ज्ञापांक – 1117/गो0 दिनांक 17.06.2015 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है।

(9) कई गैर आदिवासी रैयतों द्वारा स्थानीय लोगों के विरूद्ध तथाकथित रूप से धोखा देकर भूमि निबंधित कराने/भुगतान की गई राशि को हड़पने की शिकायत की गई थी। उनकी किसी भी सरकारी पदाधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध शिकायत नहीं थी। ऐसे मामलों में संबंधित रैयतों को स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करने एवं अन्य विधि सम्मत कार्रवाई करने का सुझाव दिया गया है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को आयकर अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर भुगतान होने वाले मुआवजा की राशि से नियमानुसार आयकर की कटौती सुनिश्चित कराने हेतु निदेशित किया है।

(10) श्री मिथिलेश कुमार, तत्कालीन कानूनगो, जिला भू–अर्जन कार्यालय, धनबाद का यह कथन उचित प्रतीत नहीं होता है कि उनसे कागजातों पर जबरन हस्ताक्षर किया गया था, क्योंकि भू–अर्जन से संबंधित अन्य मामलों में भी दोषी पाये जाने के कारण उनके विरूद्ध कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई हैं।

(11) भारतीय खनि विद्यापीठ, धनबाद के लिए अर्जित भूमि के लिए पूर्व में निर्गत अधिसूचना को दबाकर गलत मंशा से बाद में अधिसूचना जारी करने तथा तथाकथित रूप से भुगतान में अनियमितता की मामला संज्ञान में आई है जिसके लिए जांच का आदेश दिया गया है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सभी दोषी के विरूद्ध नियम संगत प्रभावी कार्रवाई की जायेगी।

पुलिस अधीक्षक, धनबाद से मामले की जांच में हुई प्रगति की जानकारी मांगने पर उन्होंने अवगत कराया कि आदिवासियों की मुआवजे की राशि हड़पने के मामले में कुल चार प्राथमिकियाँ दर्ज की गई हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:

(1) धनबाद (धनसार) थाना काण्ड संख्या 392/15, दिनांक 17.04.2015 धारा 406/420 भा.द.वि. वादी देवराज मुर्मू के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर अंकित किया गया है, जिसमें प्राथमिकी अभियुक्त बिपिन साव के द्वारा 1,47,00,00/– (एक करोड़ सैंतालिस लाख) रूपया मुआवजा की राशि में से मात्र 97,000/– (सत्तानवे हजार रूपया) वादी को मिला। शेष रूपया अभियुक्त द्वारा हड़प लिया गया। यह अभियुक्त इस तरह के अन्य काण्डों में भी प्राथमिकी अभियुक्त है।

(2) धनबाद (धनसार) थाना काण्ड 398/15, दिनांक 18.04.2015, धारा 406/420 भा.द.वि. वादी श्री नारायण विज्ञान प्रभाकर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर 34 प्राथमिकी नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध दर्ज किया गया है जिसमें जोडाफाटक, धोखरा, रिंग भू–अर्जन एवं जेआरडीए द्वारा टिलाटॉड आवास योजना में अनुसूचित जनजाति की 08 रैयतों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है तथा उसके बदले में मुआवजे की बड़ी राशि को भू–अर्जन कार्यालय के तत्कालीन भू–अर्जन पदाधिकारी एवं सहायकों तथा स्थानीय बिचौलियों के द्वारा जालसाजी एवं धोखाधड़ी कर हड़प लिया गया है। अनुसंधान के क्रम में इन 34 प्राथमिकी नामजद अभियुक्तों में से मात्र 07 अभियुक्तों का नाम पता का सत्यापन हो सका है। शेष का सत्यापन नहीं हुआ है। अभी तक अप्राथमिकी अभियुक्त अनिल महतो एवं जोड़ापोखर, शाखा चाँदमारी धनसार के पैक्स के चेयरमैन सखीचन्द महतो को गिरफ्तार किया गया है। प्राथमिकी अभियुक्त विपिन कुमार राव, आलोक बरियार एवं अनिल सिन्हा के विरूद्ध इस्तेहार प्राप्त किया गया है। इस काण्ड में धारा

2-7-2015

रवि ठाकुर/RAVI THAKUR
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

467/468/471/120(बी)/34 भा.द.वि. जोड़ने हेतु न्यायालय से अनुरोध किया गया है। इस काण्ड में मुआवजे की कुल 20,23,94,178.30 (बीस करोड़ तेईस लाख चौरानवे हजार एक सौ अठहत्तर रूपए एवं तीस पैंसे) की राशि रैयतों को भुगतान दर्शाया गया है परन्तु इसमें से कितनी राशि रैयतों को वास्तव में प्राप्त हुई है, इसकी सही जानकारी अब तक के अनुसंधान से नहीं हो पायी है।

(3) धनबाद (धनसार) थाना काण्ड 630/15, दिनांक 16.06.2015, धारा 406/420 भा.द.वि. वादी श्री महादेव महतो के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर अंकित किया गया है जिसमें प्राथमिकी 05 नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध अंकित कराया गया है जिसमें से अभियुक्त आलोक बरियार, अनिल कुमार सिन्हा इस प्रकार के अन्य काण्डों के भी अभियुक्त हैं।

(4) धनबाद (धनसार) थाना काण्ड सं0 657/15, दिनांक 23.06.2015, धारा 406/420/409/34 भा.द.वि. के अन्तर्गत वादी श्री नारायण विज्ञान प्रभाकर, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद के लिखित आवेदन के आधार पर अंकित किया गया जिसमें तत्कालीन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद संप्रति अनुमंडल पदाधिकारी, हुसैनाबाद, पलामू, लाल मोहन नायक, सेवानिवृत्त तत्कालीन भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद, अन्य अमीनों, सहायकों तथा बिचौलियों के सहित कुल 12 अभियुक्तों के विरूद्ध अंकित किया गया है। इसमें से बिचौलिये अभियुक्त उपरोक्त काण्डों में भी अभियुक्त हैं। यह काण्ड मात्र 3 तीन पूर्व अंकित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, धनबाद ने बताया कि उपरोक्त सभी काण्डों में त्वरित अनुसंधान किया जा रहा है तथा जांचकर्ता अधिकारी की सहायता के लिए पदाधिकारियों का एक दल गठित किया गया है जिसमें भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद, जिला सहकारिता पदाधिकारी, धनबाद तथा अग्रणी बैंक प्रबंधक, धनबाद को शामिल किया गया है। इससे जांचकर्ता अधिकारी को पैक्स के काम–काज संबंधी उप विधियों, राजस्व संबंधी विषयों में नियमों तथा आयकर व भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय लेन–देन संबंधी प्रावधानों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी तथा संबंधित नियमों के उल्लंघन के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने में मदद मिल सकेगी। यह पूछने पर कि इन मामलों में दर्ज प्राथमिकी में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की सुसंगत धाराएं क्यों नहीं लगाई गई हैं, पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी कि अभी जांच जारी है तथा जांच के पश्चात् उक्त धाराओं को जोड़ा जाएगा।

श्री रेमण्ड केरकेट्टा, अतिरिक्त सचिव, राजस्व विभाग, झारखण्ड सरकार ने बैठक में अवगत कराया कि दोषी विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जांच की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जांच में दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने उपायुक्त तथा पुलिस अधीक्षक, धनबाद को निम्नानुसार सलाह दीः

1. उक्त काण्डों की निष्पक्ष जांच शीघ्र पूर्ण की जाए और दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों, बिचौलियों और पैक्स प्रबंधन के खिलाफ सहकारिता, बैंकिंग तथा आयकर विभागों के विशेषज्ञों की सहायता लेकर प्रभावी कानूनी कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को हड़पी गई राशि दिलाने की कार्रवाई की जाए।
2. जांच के बाद पैसा हड़पने वाले आरोपियों की चल–अचल संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की जाए।

2-7-2015

रवि ठाकुर/RAVI THAKUR
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

3. आदिवासी रैयतों के उन मामलों में (जहां कि आरोपी गैर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हों), अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की सुसंगत धाराएं प्राथमिकी में जोड़े जाने की कार्रवाई की जाए।

4. पीड़ित परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि आरोपी उन्हें डराने–धमकाने की कोशिश न करें और उनके साथ कोई और अप्रिय घटना न घटे। आरोपियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाए।

5. एक माह के भीतर मामले की जांच पूर्ण कर ली जाए। आयोग एक माह बाद पुनः बैठक लेकर कार्रवाई में हुई प्रगति की जानकारी प्राप्त करेगा।

2-7-2015

रवि ठाकुर/RAVI THAKUR
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट–क

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

विषयः प्रभात खबर समाचार पत्र, रांची संस्करण में दिनांक 24.03.2015 को "मुआवजे के 11 करोड़ रूपए निकाल लिए बिचौलिए" के संबंध में।

झारखण्ड राज्य के धनबाद जिले में रिंग रोड के निर्माण हेतु भू–अर्जन में अनियमितताओं और आदिवासियों को मिलने वाले मुआवजे को बिचौलियों द्वारा हड़पने की घटना के संबंध में राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा ली गई बैठक की उपस्थिति शीट।

बैठक में भाग लेने वाले –

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

क्र.सं.	**नाम एवं पदनाम**
1.	श्री रवि ठाकुर, उपाध्यक्ष
2.	श्रीमती के. डी. बन्सौर, निदेशक
3.	श्री आर.के.दुबे, सहायक निदेशक
4.	श्री एच.आर. मीना, वरिष्ठ अन्वेषक
राजस्व विभाग, झारखण्ड सरकार	
1.	श्री रेमण्ड केरकेट्टा, अतिरिक्त सचिव
उपायुक्त, धनबाद (झारखण्ड)	
1.	श्री कृपा नन्द झा, उपायुक्त
पुलिस अधीक्षक, धनबाद (झारखण्ड)	
1.	श्री राकेश बंसल, पुलिस अधीक्षक